(97)

समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर मध्य प्रदेश

रिवीजन कमाँक R -PBR/14

R. 2730-PBR/14

1. गजराज सिंह, आयु लगभग 30 वर्ष,
2. दयाल सिंह, आयु लगभग 28 वर्ष,
3. तोरन सिंह, आयु लगभगं 27 वर्ष,
   सभी आ0स्व0 श्री देवी सिंह,
   सभी निवासी-ग्राम पलासी,
   पोस्ट मोतीलाल नेहरू नगर,
   भोपाल ।
4. श्रीमती बीना बाई
   पत्नी श्री अनार सिंह,
   (पुत्री स्वर्गीय श्री देवी सिंह),
   ग्राम पिपलिया, पोस्ट सुकलिया,
   तहसील बैरसिया, जिला भोपाल।
5. श्रीमती कपूरी बाई
   पत्नी श्री अजब सिंह,
   (पुत्री स्वर्गीय श्री देवी सिंह),
   निवासी-ग्राम दरवाजी, पोस्ट पीपलखेड़ी,
   तहसील बैरसिया जिला भोपाल (म0प्र0) ----- आवेदकगण

संजीव शर्मा अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 12-8-14 को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत है।

विरूद्ध

श्रीमती ममता साहू R-3691-PBR/13 (कनेक्टेड केस है)
पत्नी डॉ0 पी0एस0 साहू,
आयु लगभग 39 वर्ष,
निवासी-बी-3, ई0एस0आई0 केम्पस,
न्यू सुभाष नगर, भोपाल
एवं मुख्यातरआम प्रसाद साहू
आत्मज श्री एन0एल0 साहू,
पता-45, गल्ला बाजार, मेन मार्केट,
जहांगीराबाद, भोपाल ----- अनावेदकगण

12-8-14

20-8-14

रिवीजन अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959

यह कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नजूल वृत्त-3 बैरागढ़ भोपाल के प्रकरण कमाँक 101/अ-6/12-13 पक्षकार श्रीमती ममता साहू विरूद्ध गजराज सिंह व अन्य में पारित आदेश दिनाँक 30/11/2013 से दुखी एवं क्षुब्ध होकर यह रिवीजन माननीय महोदय के समक्ष निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है ।

निरन्तर-2-

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2730-पीबीआर/14 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-1-2019	आवेदक अभिभाषक श्री संजीव शर्मा उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 25-4-2019 को सुनवाई हेतु कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । अनावेदक पक्ष सूचित हो । अध्यक्ष	